



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276811
CG-DL-E-06102026-276811

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5164]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 5164]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ ASVINA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

का.आ. 5372(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के खंड के संबंध में, जो क्रमशः स्तंभ (4), (5), (6) और (7) में उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से संबंधित है, हरियाणा राज्य में 4-लेन ग्रीन फील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास हेतु, जिला राजस्व अधिकारी (DRO) कार्यालय, नूंह के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-919 के कि.मी. 21.400 से कि.मी. 25.300 तक सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH- 919 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला राजस्व अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH- 919 के कि.मी 21.4 से कि.मी 25.3 तक	हरियाणा	नूह	तावड़	1 सहसोला 2 भुटलाका 3 पिपाका 4 बिधुवास 5 सेहसौला

[फा. सं. PWD/PSR/919/Sohna/002]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

S.O. 5372(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for for development of a 4-lane Green Field National Highway from km. 21.4 to 25.3 of DRO Office, Nuh (NH- 919) in the State of HARYANA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH- 919 in the State of HARYANA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	District Revenue Officer	NH- 919 KM 21.4 TO KM 25.3	HARYANA	Nuh	Taoru	1 Sehsola 2 Bhutlaka 3 Pipaka 4 Bidhuwas 5 Sehsaula

[F. No. PWD/PSR/919/Sohna/002]

SHAIKH AMINKHAN, Director